संख्या- 12 /2021/ 46/30-3-21-02बी/2015

प्रेषक,

डा0 अखिलेश कुमार मिश्रा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनॉक 08 फरवरी, 2021

विषय- संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय, जनपद-आजमगढ़ के सारथी हॉल सहित कार्यालय भवन के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1777ए/2020-22ए/2013, दिनॉक 08-09-2020 एवं पत्र संख्या-जी-244ए/2020-22ए/2013, दिनॉक 04-01-2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय, आजमगढ़ के भवन निर्माण हेतु प्रावधानित धनराशि रू0 200.00 लाख के सापेक्ष संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय, आजमगढ़ में सारथी हाल सहित कार्यालय भवन के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके पत्र दिनांक 17 मार्च, 2020 द्वारा कार्यदायी संस्था-यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0 (यू0पी0 सिडको) के प्रारम्भिक आगणन रू0 809.17 लाख के सापेक्ष प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा रू0 796.25 लाख आंकलित की गयी है। प्रश्नगत कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के पूंजीगत पक्ष के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-15-संभागीय परिवहन कार्यालय आजमगढ़ में भवन निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य की मद में प्रविधानित धनराशि रू0 200.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 200.00 लाख (रू0 दो करोड़ मात्र) की धनराशि निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24 मार्च 2020 में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) कार्य की विशिष्टयॉ मानक एवं गुणवता की जिम्मेदारी प्रशासकीय विभाग की होगी तथा यह सुनिश्चित करेगें की कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाय।

(3) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिय है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(4) आहरित धनराशि पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(5) यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा कियी अन्य श्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

(6) परियोजना निर्माण में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(7) उक्त व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व आपका होगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय लेखाशीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-15-संभागीय परिवहन कार्यालय आजमगढ़ में भवन निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- इस सम्बन्ध में संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय, आजमगढ़ में सारथी हाल सहित कार्यालय भवन के निर्माण हेतु पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-108/2020/3301/30-3-20-02बी/2015, दिनांक 20 दिसम्बर, 2020 को निरस्त माना जाय।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-यू0ओ0ई0-9-105/दस-2021, दिनांक 01 फरवरी, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

ह0/-

(डा0 अखिलेश कुमार मिश्रा)

विशेष सचिव।

संख्या-12/2021/46(1)/30-3-2021, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- सम्भागीय/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, आजमगढ़।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था - यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0 लखनऊ (यू0पी0 सिडको)।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0/-

(मदन मोहन)

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।